

कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्यप्रदेश

—: आदेश :—

ग्वालियर दिनांक 17-9-2015

क्रमांक 539/सी0ओ0/स्था0एक/चतुर्थ श्रेणी/2015 निम्नलिखित भृत्य/चेनमेन/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सहायक ग्रेड-3 तृतीय श्रेणी के पद पर वेतनमान 5200-20200+ग्रेड पे 1900 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

2- इनकी पदस्थापना संबंधी आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

स0क्र0	भृत्य/चेनमेन/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नाम	कार्यरत स्थान
1	2	3
1.	श्री अख्तर बेग, सामान्य	कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख दमोह
2.	श्री कमलेश कुमार सक्सेना, सामान्य	कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख विदिशा
3.	श्री महेश प्रसाद वर्मा, सामान्य	कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख सतना
4.	श्री मुकीम खॉं, सामान्य	कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख खरगोन
5.	श्री नवलकिशोर शुक्ला, सामान्य	कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख सीहोर
6.	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, सामान्य	कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाजापुर
7.	श्री मोतीलाल बरथे, अनुसूचितजाति	कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख बैतूल
8.	श्री विक्रम मालवीय, अनुसूचितजाति	कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख देवास

3- पदोन्नत कर्मचारी द्वारा दिनांक 03.10.2015 तक नवीन पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक डी/336/684/87/नि-1/चार, दिनांक 25/07/87 के अनुसार पदोन्नति के मान से एक वर्ष के लिये वंचित किया जावेगा।

4- पदोन्नत कर्मचारी द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं करने पर उपरोक्त ज्ञाप दिनांक 25/07/87 के अनुसार पदोन्नति के लाभ से एक वर्ष के लिये वंचित किया जावेगा।

5- पदोन्नत कर्मचारी द्वारा उपरोक्त ज्ञाप दिनांक 25/07/87 के अनुसार वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प आदेश प्राप्ति के एक माह के अंदर दिया जा सकता है। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जावेगा।

6- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदोन्नति में म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां) और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम 1994 तथा म0प्र0 लोक सेवा (पदोन्नति) के नियम 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है।

7- यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


(आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त म0प्र0 के आदेशानुसार)

संयुक्त संचालक (वित्त)

कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि :-

- सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर भू अभिलेख जिला म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया संबंधित कर्मचारी की भारमुक्ति/ उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें।
 - 3- क्षेत्रीय उप आयुक्त भू अभिलेख सागर, भोपाल, रीवा, इंदौर, उज्जैन मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 - 4- अनुभागीय अधिकारी अनुभाग स्थापना एक लिपि/पु०लि०/च०श्रे० (पुनर्गठन) 2-गोपनीय सतर्कता/3-लेखा/4-बजट/5-पेंशन/12 सांख्यिकी/निज सहायक कक्ष मुख्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 - 5- श्री भृत्य/चेनमेन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख जिला की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
 - 6- आदेश पंजी हेतु।


संयुक्त संचालक (वित्त)

कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त
मध्यप्रदेश